कार्यालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म0प्र0)

//आ दे श//

क्रमांक 204/दो—11—09/2009 **अनूपपुर दिनांक 04.09.2023**

रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक—बी/5971/चार—03—01/65 (एकजाई) जबलपुर दिनांक 22.08.2023 की अनुशंसा के आधार पर अग्रलिखित अभ्यर्थियों का इस न्यायिक जिला स्थापना पर रिक्त शीघ्रलेखक ग्रेड—2, शीघ्रलेखक ग्रेड—3 एवं सहायक ग्रेड—3 के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत क्रमशः वेतनमान 28700—91300 लेवल—7, वेतनमान 25300—80500 लेवल—6 एवं वेतनमान 19500—62000 लेवल—4 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी—3/13/2019/3/एक दिनॉक 12 दिसम्बर 2019 की कंडिका (ब) के अनुसार वेतनमान में न्यूनतम राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा)पूर्णतः अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता हैः—

क्र0	आवेदन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पता	चयनित वर्ग
शीघ्रलेखक ग्रेड—2, वेतनमान—28700—91300 लेवल—7			
1.	MPC3009311	सुश्री समीक्षा तिवारी पिता श्री ओ.पी. तिवारी **निवासी**—प्लॉट नं0—109 रिशिका पुरम कॉलोनी सी.व्ही. रमन वार्ड बारा पत्थर सिवनी जिला सिवनी (म0प्र0) पिनकोड—480661	अनारक्षित
शीघ्रलेखक ग्रेड—3, वेतनमान 25300—80500 लेवल—6			
2	MPC3014667	श्री रानू रावत पिता श्री मनमोहन रावत **निवासी**— वार्ड क्र0—06 ग्राम व पोस्ट उर्दमऊ तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म0प्र0) पिनकोड —471411	अनारक्षित
3	MPC3021536	श्री दीपेन्द्र रावत पिता श्री महेन्द्र रावत **निवासी**—ग्राम मैधौरा पोस्ट भदौना तहसील इंदरगढ़ जिला दतिया (म0प्र0) पिनकोड—475661	अनारक्षित
4	MPC3019291	सुश्री दुर्गा डोंगरे पिता श्री हंसाराम डोंगरे **निवासी**—ग्राम पाथरगांव पोस्ट पाथरगांव वार्ड नं0—11 तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0) पिनकोड—481222	अ0ज0जा0
5	MPC3009031	श्री लक्ष्मण सिरशाम पिता श्री रामसिंह सिरशाम **निवासी**—ग्राम नन्हीं मोहगांव चक वार्ड नं0—04 पोस्ट पौड़ी तहसील व जिला मण्डला (म0प्र0) पिनकोड—481661	अ0ज0जा0
सहायक ग्रेड—3 वेतनमान 19500—62000 लेवल—4			
6	MPC3025064	श्री विवेक कुमार उइके पिता स्व0 श्री राजकुमार उइके निवासी—ग्राम काताजर तहसील बिछिया जिला मण्डला (म0प्र0) पिनकोड—481771 **पत्राचार का पता**—स्वामी सीताराम वार्ड पंड़न माई के पास मण्डला जिला मण्डला (म0प्र0) पिनकोड—481661	अनारक्षित
7	MPC3030459	श्री सीमाब खान पिता श्री मो0 उस्मान **निवासी**—वार्ड नं0—04 बैहर चौकी जिला बालाघाट (म0प्र0) पिनकोड—481001	अनारक्षित

8	MPC3027631	श्री विशाल पटैल पिता श्री गणेश पटैल **निवासी**–वार्ड नं0–11 पटैल मोहल्ला ग्राम बिनैका पोस्ट बिनैका जिला मण्डला (म0प्र0) पिनकोड–481661	अ0पि0वर्ग
9	MPC3009038	श्री सुलभ कुमार झारिया पिता श्री ईश्वर प्रसाद झारिया **निवासी**–वार्ड नं0–07 ग्राम पोस्ट मुगदरा तहसील नैनपुर जिला मण्डला (म0प्र0) पिनकोड –481771	अ0जा0

सेवा की निर्धारित शर्तेः–

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होकर अन्य आदेश तक के लिए की गई है, किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने अथवा कर्तव्य के प्रति अनियमितता पाये जाने पर उक्त नियुक्ति बिना किसी सूचना एवं कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
2. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के पृष्ठांकन कमांक बी/4755 जबलपुर दिनॉक 14.12.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक सी–3/13/2019/3/एक दिनॉक 12 दिसम्बर 2019 की कंडिका (ब) तथा वित्त विभाग द्वारा म0प्र0 मूलभूत नियमों में नियम 22 सी में नियम–1 के संशोधन उपनियम–1ख के अंतर्गत आपको परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
3. यदि कि, उन्हें म0प्र0शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ–9/3/2023/नियम/चार भोपाल दिनॉक 13.04.2005 के अनुसार परिभाषित नवीन पेंशन अंशदान प्रणाली लागू होगा।
4. म0प्र0शासन सामान्य प्रशासन, विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ सी–3 –15/2012/1/3 दिनॉक 24/11/2012 के अनुसार चरित्र सत्यापन/पुलिस अनुप्रमाणन की प्रतिकूल टीप/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
5. नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर पदभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उक्त अवधि विशेष परिस्थितियों को छोडकर नही बढाई जावेगी एवं उक्त आदेश निरस्त माना जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करते समय सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित स्वस्थता प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सिसिल सर्जन द्वारा सेवा में अयोग्य घोषित किये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण होने/नही एवं शासकीय सेवा के अयोग्य दण्ड से दण्डित नही किए जाने के संबंध में शपथ पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा।
7. यदि आप सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगे तो इस हेतु आपको एक माह पूर्व सूचना देना होगा या एक माह का वेतन जमा करना होगा।
8. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन/माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियमों तथा निर्देशो के अध्यधीन होकर सिविल सेवा आचरण नियम 1965, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 एवं म0प्र0सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–6 के समस्त प्रावधान लागू होगें।
9. आपके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक व तकनीकी प्रमाण पत्र के संबंध में संबंधित संस्था से सत्यापन कराए जाने पर यदि त्रुटि पायी जाती है तो आपकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जावेगी एवं विधि अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जावेगी।
10. आप नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगा परंतु मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर आपका अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कभी भी किया जा सकेगा।

11. आप नियुक्ति दिनॉक से 01 वर्ष तक किसी भी उच्च शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित नही होगें तथा इसके पश्चात् यदि किसी परीक्षा में सम्मिलित होते है तो इस हेतु इस कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12. आपका चयन अनारक्षित वर्ग से होने के कारण भविष्य में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही शासकीय सेवा के लाभ प्राप्त होगें।

13. आप यदि विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगें। यदि नियुक्ति के समय आपकी एक से अधिक जीवित पत्नि एवं दो से अधिक जीवित संतान होते हुए तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् है तो आप नियुक्ति हेतु अपात्र होगें।

(एस0एस0 परमार)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर, (म0प्र0)